

राज्य परियोजना कार्यालय  
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

एकीकृत शिक्षा भवन, द्वितीय तल, बोर्ड ऑफिस परिसर पेंशनबाड़ा, रायपुर  
टेलीफोन नं. 0771-2445052

Email-rmsachg@gmail.com

क. 2327/एफ 18-3/समग्र शिक्षा/BRC-CRC/2023  
प्रति,

रायपुर दिनांक 03/08/2023

M/S HANS RAJ SCIENTIFIC METAL WORKS,  
TIFRA TEHSIL BILASPUR ,Mob No. 9416269857,7802795757  
E-mail: hansrajscientific@gmail.com

विषय:-CRC अनुदान अंतर्गत TLM मद से संकुलों को सामग्री प्रदाय करने हेतु क्रयादेश।

संदर्भ:- (1) CSIDC Rate Contract No. 5454 dated 05.09.2022

000

विषयांतर्गत समग्रशिक्षा के CRC अनुदान अंतर्गत TLM मद से संकुलों को सामग्री प्रदाय करने हेतु CSIDC रायपुर द्वारा निर्धारित दर अनुबंध पर भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सामग्री प्रदाय हेतु तालिका के नीचे लिखित शर्तों के तहत आपको क्रय आदेश जारी किया जाता है-

SNO	ITEM CODE	ITEM NAME	QTY PER KIT (A)	Price per unit without GST (in Rs.)(B)	Amount without GST (C=AxB)	GST % (D)	GST (E=D%X C)	Inspecti on charges (F=0.70 8%x C)	Total Amount (in Rs.) (G=C+E+F)
1	700004235	WORKING MODEL ELECTRICAL BELL	1	890	890	18	160.2	6.301	1056.50
2	700004182	APPARATUS DAY AND NIGHT	1	900	900	18	162	6.372	1068.37
3	700004184	SOLAR SYSTEM MODEL	1	1399	1399	18	251.82	9.905	1660.72
4	700004190	WET AND DRY THERMOMETER	2	400	800	18	144	5.664	949.66
G.TOTAL			5		3989		718.02	28.242	4735.26

निम्नलिखित जिलों के सम्मुख अंकित विकासखंडों के सामने उल्लेखित संख्या में उपरोक्तानुसार सामग्री का किट सेट बनाकर सामग्री प्रदान करें -

क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	संकुलों हेतु किट की संख्या
1	DHAMTARI	DHAMTARI	42
		KURUD	40
		MAGARLOD	30
		NAGRI	56
DHAMTARI TOTAL			168
2	DURG	DHAMDHA	45
		DURG ( R )	75
		DURG ( U )	
		PATAN	57
DURG TOTAL			177

क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	संकुलों हेतु किट की संख्या
3	GOURELA PENDRA MARWAHI	GOURELA	30
		MARWAHI	40
		PENDRA	22
	<b>GPM TOTAL</b>		<b>92</b>
4	JASHPUR	BAGICHA	52
		DULDULA	19
		FARSABAHAR	35
		JASHPUR	29
		KANSABEL	24
		KUNKURI	30
		MANORA	30
		PATHALGAON	46
	<b>JASHPUR TOTAL</b>		<b>265</b>
5	KANKER	ANTAGARH	38
		BHANUPRATAPPUR	28
		CHARAMA	28
		DURGUKONDAL	27
		KANKER	31
		KOYALIBEDA	60
		NARHARPUR	31
	<b>KANKER TOTAL</b>		<b>243</b>
6	KAWARDHA	BODLA	38
		KAWARDHA	39
		PANDARIYA	38
		SAHASPUR LOHARA	35
	<b>KAWARDHA TOTAL</b>		<b>150</b>
7	KHAIRAGARH CHHUIKHDAN GANDAI	CHUIKHDAN	39
		KHAIRAGARH	40
	<b>KCG TOTAL</b>		<b>79</b>
8	KONDAGAON	BADERAJPUR	27
		KESHKAL	39
		KONDAGAON	73
		MAKADI	42
		PHARASGAON	50
	<b>KONDAGAON TOTAL</b>		<b>231</b>
9	KORBA	KARTALA	35
		KATGHORA	42
		KORBA (R)	49
		KORBA (U)	
		PALI	54
		PONDI-UPRODA	68
	<b>KORBA TOTAL</b>		<b>248</b>
10	KORIYA	BAIKUNTHPUR	52
		SONHAT	21
	<b>KORIYA TOTAL</b>		<b>73</b>
11	MAHASAMUND	BASNA	30
		MAHASAMUND	38
		PITHORA	42
		SARAYPALI	38

क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	संकुलों हेतु किट की संख्या
	<b>MAHASAMUND TOTAL</b>		<b>148</b>
12	MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR	BHARATPUR	38
		KHADGAVA	31
		MANENDRAGARH	28
	<b>MCB TOTAL</b>		<b>97</b>
13	MUNGELI	MUNGELI	43
		LORMI	47
		PATHARIA	40
	<b>MUNGELI TOTAL</b>		<b>130</b>
14	RAIGARH	DHARAMJAIGARH	54
		GHARGHODA	21
		KHARSIA	35
		LAILUNGA	47
		PUSSORE	31
		RAIGARH	38
		TAMNAR	24
	<b>RAIGARH TOTAL</b>		<b>250</b>
15	RAIPUR	ABHANPUR	35
		ARANG	48
		DHARSHIWA ( R )	85
		DHARSHIWA ( U )	
		TILDA	39
	<b>RAIPUR TOTAL</b>		<b>207</b>
16	RAJNANDGAON	CHURIA	43
		DONGARGAON	23
		DONGARGARH	39
		RAJNANDGAON	44
	<b>RAJNANDGAON TOTAL</b>		<b>149</b>
17	SAKTI	DABHARA	29
		JAIJAIPUR	41
		MALKHARODA	31
		SAKTI	28
	<b>SAKTI TOTAL</b>		<b>129</b>
18	SARANGARH BILAIGARH	BARAMKELA	44
		SARANGARH	54
		BILAIGARH	63
	<b>SARANGARH BILAIGARH TOTAL</b>		<b>161</b>
19	SUKMA	CHHINDGARH	46
		KONTA	37
		SUKMA	27
	<b>SUKMA TOTAL</b>		<b>110</b>
20	SURAJPUR	BHAIYATHAN	38
		ODGI	41
		PRATAPPUR	55
		PREMNAGAR	25
		RAMANUJNAGAR	35
		SURAJPUR	48
	<b>SURAJPUR TOTAL</b>		<b>242</b>




क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	संकुलों हेतु किट की संख्या
21	SURGUJA	AMBIKAPUR	48
		BATAOLI	24
		LAKHANPUR	33
		LUNDRA	45
		MAINPAT	25
		SITAPUR	30
		UDAIPUR	31
	<b>SURGUJA TOTAL</b>		<b>236</b>
<b>GRANDTOTAL</b>			<b>3585</b>


(सकल राशि —4735.26 x 3585 = 16975907.10) रू. या 169.759 लाख ।

शर्तः—

- समग्री प्रदाय के पूर्व सीएसआईडीसी में इम्पेनल्ड एजेंसी से तकनीकी रूप से सत्यापित सामग्री का किट राज्य कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा क्रय समिति द्वारा सामग्री जाँच उपरांत सामग्री वि०ख० में प्रदान की जावे।
- टीएलएम सामग्री विकासखंड स्तर तक पहुंचा कर देना होगा।
- विकासखण्ड स्तर पर फर्म द्वारा सीएसआईडीसी से सत्यापित सैंपल किट प्रदान किया जाएगा। वि०ख० स्तर पर तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्रदायित सैंपल किट अनुसार दी गई सामग्री की गुणवत्ता व मात्रा का परीक्षण किया जाकर सत्यापन प्रमाण पत्र 07 दिवस के भीतर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
- टीएलएम सामग्री का तकनीकी विशेषज्ञ से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर देयक के साथ देना अनिवार्य है।
- CSIDC दर अनुबंध में निर्धारित समय—सीमा (45 दिवस) के भीतर सामग्री प्रदाय करना होगा अन्यथा क्रयादेश निरस्त माना जाएगा।
- सामग्रियों की आपूर्ति सी०एस०आई०डी०सी० के ई—मानक में दर्शित शर्तों एवं छ०ग० राज्य भंडार क्रय नियम के शर्तों के आधार पर किया जाना होगा।
- सामग्री पहुंचाते समय अथवा अन्य कारण से टुट—फुट होने पर सामग्री बदलकर बिन्दु क्र. 5 में अंकित अवधि के भीतर सही हालत में सामग्री प्रदान करना होगा।
- सामग्री की पावती विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जाएगा।
- सामग्री प्रदान करने हेतु आपके द्वारा सहमति प्रदान करने के 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय में कुल क्रयादेश की 3 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक है।
- सामग्री का संकुलवार किट सेट बना कर किट में सामग्री की सूची एवं संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
- बिना कारण बताये क्रयादेश को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

  
 प्रबंध संचालक  
 राज्य परियोजना कार्यालय  
 समग्र शिक्षा  
 रायपुर छत्तीसगढ़

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला ..... छ.ग. को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ..... छ.ग. को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला ..... छ.ग. को सूचनार्थ।
6. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड ....., छ.ग. को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि सामग्री प्राप्त होने के तत्काल तीन सदस्यीय की समिति बनाकर, समिति के द्वारा तत्काल भौतिक सत्यापन करावें तथा तत्काल संकुलों को टीएलएम किट प्रदान कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
7. एम.आई.एस. प्रभारी, समग्र शिक्षा को CSIDC के ई-मानक पोर्टल पर कार्यादेश अपलोड करने हेतु निर्देशार्थ।

  
प्रबंध संचालक  
राज्य परियोजना कार्यालय  
समग्र शिक्षा  
रायपुर छत्तीसगढ़